राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग

क्रमांक: प.6(24)प्र.सु./अनु.3/2019 दिनांक:- 14.06.2019

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 6(33)AR/Gr.3/2016 दिनांक 17.05.16, एफ.6(43)प्र.सु/अनु.-3/2015/II दिनांक 15.07.2015 एवं F.6(13)AR/Gr.3/201(III) दिनांक 13.02.2015 के द्वारा गठित निम्न तीन समितियों को भंग किया जाता है :-

1. To control rabies and stray dog population.
2. District Live Stock Mission Committee.
3. ऊंटों के विकास हेतु पर्यवेक्षण एवं मोनिटरिंग व्यवस्था सम्बन्धित कार्य हेतु।

विभागीय योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु उपरोक्त समितियों के स्थान पर समेकित **"जिला पशुधन विकास समिति"** का गठन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क.स.	अधिकारी	समिति में पद
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	उपाध्यक्ष
3	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/पालिका	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
6	जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7	अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य
8	प्रबंध निदेशक, जिला मिल्क यूनियन (RCDF)	सदस्य
9	लीड बैंक मैनेजर	सदस्य
10	प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह (जिला प्रभारी) (कोई एक सदस्य)	सदस्य
11	प्रगतिशील उष्ट्रपालक/विषय विशेषज्ञ/पशुपालक (कोई दो सदस्य)	सदस्य

नोटः- **क0सं0 10 व 11 पर अंकित स्वयं सहायता समूह (जिला प्रभारी) (कोई एक सदस्य) तथा प्रगतिशील उष्ट्रपालक/विषय विशेषज्ञ/पशुपालक (कोई दो सदस्य) का मनोनयन संबंधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग की अनुशंषा पर दो वर्ष के लिए जिला कलक्टर द्वारा किया जावेगा।**

उक्त **"जिला पशुधन विकास समिति"** के कार्य निम्नानुसार रहेगें:-

1. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत के पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय रेबीज नियत्रंण कार्यक्रम (NRCP) अन्तर्गत जन/पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित किये जा रहे कार्य यथा-रेबीज और आवारा कुत्तो की आबादी नियंत्रण का कार्य, पालतु पशु मालिको को नसबन्दी एवं टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना/करवाना।
2. भारत सरकार के नेशनल लाईव स्टॉक मिशन अन्तर्गत पशुधन उत्पादन से सम्बन्धित परियोजनाओं का कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं अनुसार नवीन परियोजनाएं तैयार कर उनका कियान्वयन/पर्यवेक्षण करवाना।

3. मंत्री परिषद की आज्ञा सं.100 की पालना में राज्य में ऊंटों के विकास हेतु पर्यवेक्षण एवं मोनिटरिंग व्यवस्था हेतु ऊंट/ऊंटपालको के कल्याणार्थ कार्य योजना बनाने/संचालित करना/करवाना।
4. पशुपालन सेक्टर से संबंधित अन्य विषय।

उक्त **"जिला पशुधन विकास समिति"** की बैठके आवश्यकतानुसार संबंधित जिला कलक्टर के निर्देशानुसार/अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी।

- इस समिति का प्रशासनिक विभाग पशुपालन विभाग होगा।

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.6(24)प्र.सु./अनु.3/2019 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन, मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0 जयपुर।
7. समस्त संभागीय अतिरिक्त निर्देशक/संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग। संदर्भ सं. एफ.V. 1(1)(10)योजना/कलक्टर कान्फ्रेंस/2017–18

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांकः–एफ.वी.1(1)(10)योजना/कलेक्टर कान्फ्रेस/2017–18पार्ट–11/841-850 दिनांक 24-6-2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक– उत्पादन/ फार्म एंव सम्पदा/ स्वास्थ्य/ दवाप्रकोष्ठ/ मोनेंटिरिंग निदेशालय पशुपालन विभाग।
2. संयुक्त निदेशक–पशु रोग नियंत्रण पशुपालन विभाग।
3. उप निदेशक प्रोजेक्ट फार्मूलेशन/सी.एस.एस./आर.के.वी.वाई पशुपालन विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

D:\backup\Bhargava\Order Committee Year 2019.docx